

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक:- प.1(1)न्याय/2021


जयपुर, दिनांक 08.07.2021

**अधिसूचना**

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 सपठित धारा 12 एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार एतद्वारा कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्रमोन्नत् करते हुए पीठासीन अधिकारी के पदस्थापन की तिथि से स्थापित करती है:-

क्र.सं.	न्यायालय का पूर्व नाम	क्रमोन्नत् न्यायालय का नाम	जिले का नाम	बैठक का स्थान
1	2	3	4	5
1.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह	टोंक	टोडारायसिंह


राज्यपाल के आदेश से,

  
(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलक्टर, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक, टोंक।
9. महानिदेशक, आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट एवं ई-गजट में ऑनलाईन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

  
(पुरुषोत्तम लाल सैनी)  
संयुक्त शासन सचिव